न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 59 / 2021 अपील (GCMS 2021/79)
पंजीयन दिनांक– 03.08.2021
निर्णय दिनांक– 28.03.2023

1. श्री अम्बालाल पिता जीतमल जाट, निवासी रूपाखेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।
2. श्री इकबाल मोहम्मद पिता अनार मोहम्मद मुसलमान, निवासी खाखलिया खेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद हाल वार्ड पंच, ग्राम पंचायत घाटी।
3. श्री इस्माईल खां पिता अलियार खां पठान, निवासी खाखलिया खेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।
4. श्री शंकरलाल पिता लेहरू जाट, निवासी रामाखेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।
5. श्री जगदीशचन्द्र पिता सूरजमल जाट, निवासी रूपाखेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।
6. श्री लेहरू पिता गुलाब गुर्जर, निवासी खेमाखेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।
7. श्री नारायण पिता मांगीलाल गुर्जर, निवासी खेमाखेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।
8. श्री विजय प्रकाश पिता चन्द्रनाथ सनाढ्य, निवासी खाखलिया खेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद हाल उप सरपंच, ग्राम पंचायत घाटी।
9. श्रीमती फातिमा पत्नि मुंशी खां मेव, मुसलमान, निवासी खाखलिया खेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद हाल वार्ड पंच, ग्राम पंचायत घाटी।

10. श्री शंभूलाल पिता प्यारचंद पूर्विया, निवासी खाखलिया खेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद हाल वार्ड पंच, ग्राम पंचायत घाटी।
11. श्री गोरू पिता हीरा बंजारा, निवासी रामाखेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।
12. श्रीमती प्रेमी पत्नि कालू जाट, निवासी रूपाखेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद हाल वार्ड पंच, ग्राम पंचायत घाटी।
13. श्रीमती चन्द्री पत्नि दिनेश भील, निवासी खेमाखेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद हाल वार्ड पंच, ग्राम पंचायत घाटी।
14. श्री लक्ष्मण पिता रतन कालबेलिया, निवासी रावों का खेडा, ग्राम पंचायत घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद हाल वार्ड पंच, ग्राम पंचायत घाटी।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमंद।
2. ग्राम पंचायत, घाटी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, घाटी, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमंद।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, कुंवारिया, जिला राजसमंद।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
3. मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश संख्या क्रमांक/प.12/3(क) (24) राजस्व/2020/1965–72 दिनांक 17.09.2020 एवं दिनांक 26.06.2021

निर्णय

दिनांक 28.03.2023

1. अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांक/प.12/3 (क) (24) राजस्व/2020/1965–72 दिनांक 17.09.2020 एवं आदेश क्रमांक/एफ ( )/नवीन पंचा/भवन/मु..अ. राजस्व ग्राम/2020–21/50 दिनांक 26.06.2021 के विरूद्ध दिनांक 30.07.2021 को प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी, प्रार्थना पत्र बाबत मयाद कण्डोन कराने हेतु एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांक/प.12/3(क) (24) राजस्व/2020/1965–72 दिनांक 17.09.2020 से उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक 6 (86) राज–3/20 दिनांक 20.08.2020 से प्रसारित स्वीकृति की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद के प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम खाखलिया खेडा, तहसील राजसमंद स्थित आराजी नम्बर 380/3 रकाब 69.10 बीघा किस्म चरागाह भूमि में से 7.10 बीघा भूमि की किस्म खारिज की जाकर राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 में वर्णित प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत, घाटी के नवीन ग्राम पंचायत के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालय हेतु 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क भू–आवंटन किया जाने एवं आदेश क्रमांक/एफ( )/नवीन पंचा/भवन/मु..अ. राजस्व ग्राम/2020–21/50 दिनांक 26.06.2021 से ग्राम पंचायत, घाटी के नवीन ग्राम पंचायत के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालय

हेतु भूमि आवंटन बाबत प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण किये जाने से अप्रसन्न एवं व्यथित पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

3. उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

4. यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.03.2023 को सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि उक्त मामले में जिला कलक्टर द्वारा कथित आवंटन के पूर्व मौका देख लिया जात तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती पंरतु जिला कलक्टर ने कथित भूमि का मौका देखे बिना ही पंचायत द्वारा बिना कौरम में भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार चाही गई भूमि का आवंटन कर दिया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत होकर काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय ने विचार किए बिना जो आदेश पारित किया एवं अपीलांट की आपत्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया व भी बिल्कुल गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। कथित अनुमोदन ग्राम पंचायत द्वारा बिना प्रस्ताव पारित किए किया गया वह उचित नहीं है। पंचायत ने मीटिंग के पूर्व किसी भी वार्ड पंच को लिखित में सूचना नही दी व सूचित किए बिना ही मीटिंग कर ली गयी एवं 4 मेम्बर सरपंच सहित उपस्थित थे तथा दो मेम्बर के हस्ताक्षर नहीं होते हुए भी उस पर हस्ताक्षर कर अनुमोदन पारित कर दिया गयो जो गलत होकर निरस्त के है। कथित आवंटन जिला कलक्टर ने जिन नियमों के तहत किया उसमें जिला कलक्टर को आवंटन करने का ही अधिकार नही था एवं उन नियमों में जो संशोधन हुए उसे नजरअंदाज

करते हुए जो आवंटन आदेश पारित किया वह गलत है। दिनांक 30.05.2020 को कौरम के सदस्यों ने इस भूमि के आवंटन के प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर से मना कर दिया तो पांच दिन बाद ही दिनांक 05.06.2020 को बिना सदस्यों की जानकारी गुपचुप तरीके से कागज बनाकर जिला कलक्टर को पेश कर दिये गये उसमे भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया सीधे ही अनुमोदन का कागज बना लिय गया उसके आधार पर जिला कलक्टर ने आवंटन आदेश पारित किया जो गलत है। आज दिन तक ग्राम पंचायत घाटी में इस खाखलिया खेडा की जमीन के आंवटन बाबत ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नही किया गया न ही इसे चरागाह से कमी करने बाबत ही कोई प्रस्ताव ही पारित किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इसे यानि मौजा खाखलिया खेडा की आराजी नम्बर 380/3 रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा चरागाह भूमि में से 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत घाटी के भवन निर्माण हेतु आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया वह गलत होकर निरस्त के है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD 1986 Page 7, AIR 1991 Page 69, RRD 1983 Page 821, AIR 1989 Page 74, RRD 1986 Page 739, RRD 1995 Page 669, RBJ (25) 2018 Page 441 & 89 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

6. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने अपनी बहस मे बताया की प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा दिनांक 17.09.2020 एवं दिनांक 26.06.2021 से पारित आदेश नियमानुसार होकर होकर उचित है। है। अधिवक्ता रेस्पोडंट संख्या 2 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD 2020 Page 153, RRD 1973 Page 473 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

7. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला

कलक्टर, राजसमंद द्वारा दिनांक 17.09.2020 एवं दिनांक 26.06.2021 से पारित आदेश नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

8. प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.09.2020 एवं 26.06.2021 की अपील अपीलांट्स द्वारा दिनांक 30.07.2021 को पेश की गयी है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रमाणित नहीं है, अतएवं अपीलांट्स की अपील को न्यायहित में कण्डोन किया जाता है।

9. प्रकरण में अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे एवं बिना अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार हुए उन्होंने अपील प्रस्तुत करने के लिए दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत, घाटी के सरंपच ने कथित प्रस्ताव जिला कलक्टर को भेजने बाबत कोई कौरम नहीं बुलाया गया था तथा उपसरपंच और वार्ड पंचों को लिखित में सूचना दिए बिना अनुमोदन पत्र बनाकर भेज दिया जिससे अपीलांट्स के हितों के विरूद्ध है। चूंकि प्रकरण ग्राम पंचायत की भूमि आवंटन से संबंधित होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का है। अतएवं प्रकरण सार्वजनिक प्रयोजनार्थ का होने से न्यायहित में दफा 96 जा. दी. का आवेदन के आधार पर स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

10. प्रकरण में अब हम अपील में अपीलांट्स द्वारा वर्णिज उजरात के विवेचन व बहस तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का सम्मानपूर्वक अध्यन तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बरूए गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में वस्तुतः जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांक/प.12/3 (क) (24) राजस्व/ 2020/1965–72 दिनांक 17.09.2020 से नवीन ग्राम पंचायत के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालय हेतु 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क भू–आवंटन किया जाने एवं आदेश क्रमांक/एफ( )/नवीन पंचा/भवन/मु..अ.

राजस्व ग्राम/2020–21/50 दिनांक 26.06.2021 से ग्राम पंचायत, घाटी के नवीन ग्राम पंचायत के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण किये जाने से अप्रसन्न एवं व्यथित पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

11. अपीलाण्ट द्वारा जो प्रमुख आधार लिये गये हैं, वो यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन के पूर्व आवंटित भूमि का मौका देखा जाना चाहिए था तथा नेशनल हाईवे रोड व खेमाखेडा भील बस्ती एवं रूपाखेडा से बहुत दूर पडता जबकि नेशनल हाईवे रोड के पास ही ग्राम रामाखेडा (रावों का खेडा) में स्थित भू–भाग आंवटन करने पर जनता को सभी तरह की सुविधाएं रहती क्योंकि ग्राम पंचायत घाटी का पटवार मण्डल एवं उचित मूल्य की दुकान भी घाटी के नाम से है वह भी रामाखेडा गांव में नेशनल हाईवे रोड के पास ही है।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा दिनांक 22.06.2020 से ग्राम पंचायत घाटी को भवन व अन्य राजकीय कार्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत प्रस्ताव जिसके साथ तहसीलदार की रिपोर्ट, पटवारी कुंवारिया की रिपोर्ट मय फर्द मौका ग्राम खाखलिया खेडा, पटवार मण्डल कुवांरिया की रिपोर्ट संलग्न होकर प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद को प्रेषित किया गया था। इससे यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि आवंटन पूर्व मौका देखा जाकर राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय, जिला कलक्टर, राजसमंद को प्रेषित किया गया था तथा उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद का पत्र दिनांक 30.07.2020 नवसृजित ग्राम पंचायतों में मुख्यालय के स्थान पर अन्यत्र राजस्व ग्राम के प्रस्ताव भिजवाने का कारण स्पष्ट करते हुए प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमंद को संबोधित पत्र के साथ सरपंच ग्राम पंचायत का पत्र 29.07.2020 से नवगठित ग्राम पंचायत, घाटी

हेतु जमीन आवंटन बाबत ग्राम पंचायत, घाटी की ग्रामसभा दिनांक 12.03.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 की पालना में भूमि आवंटन राजस्व ग्राम खाखलिया खेडा में आवंटित कराने का उचित कारण प्रस्तुत किया हैः– ग्राम घाटी के पंचायत भवन हेत उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है, ग्राम खाखलिया खेडा प्रस्तावित भूमि से 1.5 किमी दूरी पर स्थित है जबकि ग्राम घाटी आबादी क्षेत्र 100 मीटर दूरी पर स्थित है, प्रस्तावित भूमि के आस–पास ग्राम घाटी की आबादी स्थित है एवं निकट ही ग्राम घाटी का विद्यालय स्थित है तथा प्रस्तावित भूमि ग्राम पंचायत, घाटी की जनता की मांग एवं सहमति होने से उक्त भूमि का आवंटन किया जाना उचित बताया है। इससे यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत, घाटी के पंचायत भवन एवं अन्य राजकीय भवनो के लिए ग्राम खाखलिया खेडा में उचित भूमि आवंटन की गयी है। अतएवं उक्त उज्र समायत योग्य नहीं है।

13. अपीलाण्ट का अन्य कथन यह है कि दिनांक 30.05.2020 को कौरम के सदस्यों ने इस भूमि के आंवटन प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर से मना कर दिया तो पांच दिन बाद ही दिनांक 05.06.2020 को बिना सदस्यों की जानकारी से गुपचुप तरीके से कागज बनाकर जिला कलक्टर को पेश कर दिये गये उसमें भी प्रस्ताव पारित नही किया गया सीधे ही अनुमोदन का कागज बना दिया गया।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, घाटी के पत्रांक दिनांक 05.06.2020 से विकास अधिकारी, राजसमंद एवं तहसीलदार, कुंवारिया को प्रेषित पत्र के साथ दिनांक 05.06.2020 को ग्राम पंचायत कौरम बैठक प्रस्ताव प्रतिलिपि प्रेषित की गई है, उक्त पत्र के साथ दिनांक 30.05.2020 की कोई कौरम बैठक का प्रस्ताव संलग्न नही है एवं न ही इस बाबत कोई दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध है। अतएवं उक्त उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

15. अपीलाण्ट का अन्य कथन यह है कि आज दिनांक तक ग्राम पंचायत, घाटी में खाखलिया खेडा की भूमि के आवंटन बाबत ग्राम पंचायत

द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नही किया गया न ही इसे चरागाह से कमी करने बाबत प्रस्ताव पारित किया गया।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, घाटी के पत्रांक दिनांक 05.06.2020 से विकास अधिकारी, राजसमंद एवं तहसीलदार, कुंवारिया को प्रेषित पत्र के साथ दिनांक 05.06.2020 को ग्राम पंचायत कौरम बैठक प्रस्ताव प्रतिलिपि प्रेषित की गई है, इससे स्पष्ट है कि दिनांक 05.06.2020 को कौरम बैठक में प्रस्ताव संख्या 2 में ग्राम पंचायत, घाटी के पंचायत भवन एवं अन्य भवन बनाने हेतु राजस्व ग्राम खाखलिया खेडा की आराजी नम्बर 380/3 कुल रकबा 96.09 बीघा भूमि का प्रस्ताव पारित किया गया है। अतएवं उक्त भी उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

17. अपीलाण्ट का अन्य कथन यह है कि कथित आवंटन दिनांक 17.09.2020 को जिला कलक्टर द्वारा किया गया तथाकथित भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालायों, धर्मशालओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माध हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 में वर्णित प्रावधानो के तहत ग्राम पंचायत, घाटी को नवीन ग्राम पंचायत के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालय हेतु 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क आवंटन किया जाता है का आदेश पारित किया जो नियमों के विपरीत है।

18. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, राजसमंद के आदेश क्रमांक/प.12/3(क) (24) राजस्व/2020/1965–72 दिनांक 17.09.2020 से उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक 6 (86) राज–3/20 दिनांक 20.08.2020 से प्रसारित स्वीकृति की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी राजसमंद के प्रस्तावानुसार राजस्व ग्राम खाखलिया खेडा, तहसील राजसमंद स्थित आराजी नम्बर 380/3 रकाब 69.10 बीघा किस्म चरागाह भूमि में से 7.10 बीघा भूमि की किस्म खारिज की जाकर राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलो, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं, तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु

अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 में वर्णित प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत, घाटी के नवीन ग्राम पंचायत के भवन एवं अन्य राजकीय कार्यालय हेतु 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क भू–आवंटन किया गया है, जो उचित है। अतएवं उक्त भी उज्र माने जाने योग्य नहीं है।

19. उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(राजेन्द्र भट्ट, IAS)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर